भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 108
गुरूवार, 20 जुलाई, 2023/29 आषाढ़, 1945 (शक)

देश में व्याप्त बेरोजगारी दर

108. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार कितने वर्षों में एनएसएसओ या किसी अन्य एजेंसी के सर्वेक्षण के माध्यम से देश में व्याप्त बेरोजगारी दर पर आंकड़े तैयार करती है**;**

(ख) देश में बेरोजगारी की वर्तमान दर क्या है और विगत दस वर्षों में बेरोजगारी दर की राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य-वार क्या प्रवृत्ति रही है**;** और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में बेरोजगारी दर में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

पीएलएफएस से पहले, वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) करवाया जाता था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) भी पंचवार्षिक रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण करता था। इस तरह का आखिरी सर्वेक्षण वर्ष 2011-12 के दौरान किया गया था। इन सर्वेक्षणों जैसे पीएलएफएस, ईयूएस और पंचवार्षिक रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के परिणाम अलग-अलग नमूना पद्धति और कवरेज के कारण ये तुलनीय नहीं हैं।

इन सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, पिछले दस वर्षों के दौरान देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार है:

वर्ष	**बेरोजगारी दर (यूआर)** (% **में**)
ईयूएस, श्रम ब्यूरो	
2012-13	4.0
2013-14	3.4
2015-16	3.7
2016-17	3.9

पीएलएफएस, एमओएसपीआई	
2017-18	6.0
2018-19	5.8
2019-20	4.8
2020-21	4.2
2021-22	4.1

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई और श्रम ब्यूरो

पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो की अलग-अलग नमूना पद्धति और कवरेज होने के कारण इन दोनों सर्वेक्षणों के परिणाम तुलनीय नहीं हैं। पीएलएफएस, मौसम संबंधी श्रम बल को कवर करता है क्योंकि यह जुलाई से अगले वर्ष जून (अर्थात् पूरे वर्ष) तक की अवधि के दौरान आयोजित किया जाता है जबकि श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में फील्ड कार्य 7 से 9 महीने तक होता है और इसलिए इसमें पूर्ण मौसम को कवर नहीं किया जाता था। इसके अलावा, इन दोनों सर्वेक्षणों के बीच कई अन्य पद्धतिगत अंतर भी हैं।

पिछले दस वर्षों के दौरान देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित बेरोजगारी दर **अनुबंध** में दी गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों पर केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 02.07.2023 तक, इस योजना के तहत 60.42 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 14 जुलाई, 2023 तक, 50.18 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, सरकार, विभिन्न परियोजनाओं जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) एवं प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का कार्यान्वयन कर रही है और मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 20.07.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 108 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित राज्य-वार बेरोजगारी दर (यूआर) का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित राज्य	बेरोजगारी दर (% में)								
		श्रम ब्यूरो				पीएलएफएस				
		2012-13	2013-14	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	2.3	2.9	3.5	3.1	4.5	5.3	4.7	4.1	4.2
2	अरुणाचल प्रदेश	10.2	6.7	3.9	4.2	5.8	7.7	6.7	5.7	7.7
3	असम	4.3	2.9	4.0	4.4	7.9	6.7	7.9	4.1	3.9
4	बिहार	5.8	5.6	4.4	5.4	7.0	9.8	5.1	4.6	5.9
5	छत्तीसगढ	1.3	2.1	1.2	2.9	3.3	2.4	3.3	2.5	2.4
6	दिल्ली	5.3	4.4	3.1	4.6	9.4	10.4	8.6	6.3	5.3
7	गोवा	9.9	9.6	9.0	10.1	13.9	8.7	8.1	10.5	12.0
8	गुजरात	2.3	0.8	0.6	0.8	4.8	3.2	2.0	2.2	2.0
9	हरियाणा	4.3	2.9	3.3	5.2	8.4	9.3	6.4	6.3	9.0
10	हिमाचल प्रदेश	2.8	1.8	10.2	2.6	5.5	5.1	3.7	3.3	4.0
11	झारखंड	5.9	1.8	2.2	5.8	7.5	5.2	4.2	3.1	2.0
12	कर्नाटक	1.8	1.7	1.4	1.8	4.8	3.6	4.2	2.7	3.2
13	केरल	9.6	9.3	10.6	11.1	11.4	9.0	10	10.1	9.6
14	मध्य प्रदेश	1.8	2.3	3.0	4	4.3	3.5	3.0	1.9	2.1
15	महाराष्ट्र	3.2	2.2	1.5	1.6	4.8	5.0	3.2	3.7	3.5
16	मणिपुर	2.2	3.4	3.4	3.9	11.5	9.4	9.5	5.6	9.0
17	मेघालय	3.5	2.6	4.0	3.3	1.6	2.7	2.7	1.7	2.6
18	मिजोरम	2.2	2.0	1.5	2.9	10.1	7.0	5.7	3.5	5.4
19	नागालैंड	6.2	6.7	5.6	5.2	21.4	17.4	25.7	19.2	9.1
20	ओडिशा	5.1	4.3	3.8	4.7	7.1	7.0	6.2	5.3	6.0
21	पंजाब	4.7	5.4	5.8	6.5	7.7	7.4	7.3	6.2	6.4
22	राजस्थान	2.3	3.1	2.5	2.7	5.0	5.7	4.5	4.7	4.7
23	सिक्किम	12.2	7.1	8.9	5.9	3.5	3.1	2.2	1.1	1.6
24	तमिलनाडु	3.6	3.3	3.8	3.7	7.5	6.6	5.3	5.2	4.8
25	तेलंगाना	-	3.1	2.7	2.7	7.6	8.3	7.0	4.9	4.2
26	त्रिपुरा	8.4	6.2	10.0	15	6.8	10.0	3.2	3.2	3.0
27	उत्तराखंड	4.5	5.5	6.1	3.3	7.6	8.9	7.1	6.9	7.8
28	उत्तर प्रदेश	4.9	4.0	5.8	5.2	6.2	5.7	4.4	4.2	2.9
29	पश्चिम बंगाल	5.9	4.2	3.6	3.7	4.6	3.8	4.6	3.5	3.4
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	9.8	13.0	12.0	8.3	15.8	13.5	12.6	9.1	7.8
31	चंडीगढ़	5.6	2.8	3.4	1.3	9.0	7.3	6.3	7.1	6.3
32	दादरा एवं नगर हवेली	1.2	4.6	2.7	1.8	0.4	1.5	3.0	4.2	5.2
33	दमन और दीव	1.2	6.6	0.3	1.5	3.1	0	2.9		
34	जम्मू एवं कश्मीर	6.4	8.2	6.6	8.1	5.4	5.1	6.7	5.9	5.2
35	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	0.1	2.9	3.3
36	लक्षद्वीप	10.2	10.5	4.3	5.2	21.3	31.6	13.7	13.4	17.2
37	पुडुचेरी	10.1	8.8	4.8	5.7	10.3	8.3	7.6	6.7	5.8
अखिल भारत		4.0	3.4	3.7	3.9	**6.0**	**5.8**	**4.8**	**4.2**	**4.1**

स्रोत: श्रम ब्यूरो एमओएलएंडई और पीएलएफएस, एमओएसपीआई